



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1943 (श10)  
(सं0 पटना 869) पटना, सोमवार, 18 अक्टूबर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2021

एस० ओ०156 दिनांक 18 अक्टूबर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर,

वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 84 दिनांक 12 मार्च, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 158, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में, "उक्त अधिनियम की धारा 25 की" शब्दों के पश्चात "उपधारा (6क) या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)2112)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

**18 अक्टूबर 2021**

एस० ओ०156 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)2112)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

---

***The 18th October 2021***

S.O. 156, Dated 18th October 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 84, dated the 12<sup>th</sup> March, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 158, dated the 12<sup>th</sup> March, 2021, namely: -

In the said notification, in the first paragraph after the words “hereby notifies that the provisions of”, the words, brackets, figure and letter “sub-section (6A) or” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9) 2112 ]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>